न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 17/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. दिपाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मिठड़ा, धोरीमना जिला बाड़मेर (मैसर्स दिपाराम खेताराम, धोलीया भाटा, कोजा बाड़मेर का मैनेजर)
2. राजूराम उर्फ पप्पू पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी धोलीया भाटा, कोजा, धोरीमना जिला बाड़मेर
(मैसर्स दिपाराम खेताराम, धोलीया भाटा, कोजा बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता गंगाराम विश्नोई, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 11.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक **23.09.2020** को अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स दिपाराम खेताराम, धोलीया भाटा, कोजा बाड़मेर**, का निरीक्षण करने पर एक फ्रीज में लगभग कुल 10 कि0ग्रा0 विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** भरा हुआ पाया, को मिला[illegible] नियमानुसार **02 लीटर दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया ज[illegible] संख्या **पी–1167** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुर[illegible] मानक अ[illegible]म, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर [illegible] के ह[illegible] करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** क[illegible] नमूना वास्ते जांच ख[illegible]श्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

दूध (मिक्स) का नमूना **अवमानक (Sub-statndard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 का जवाब दिया कि प्रथमतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक रूप से योग्यता धारक नहीं है तथा पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा की नियुक्ति को अवैध माना जा चुका है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य के सेम्पल लेने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 से 05 का जवाब दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के यहां से किसी भी प्रकार के दूध (मिक्स) की सेम्पलिंग नहीं की गई थी और न ही विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई तथा उपरोक्त पदो में जो मोतबिर बताया गया है व मोतबिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारी के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। ऐसी स्थिति मे स्वतंत्र गवाहों के अभाव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह उचित नहीं है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **07.10.2020** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे ठोस जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी की खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति को अवैद्य माना है जबकि सक्षम राज्य सरकार द्वा[illegible] जारी कर नियुक्ति की गई है। अप्रार्थी की ओर से ऐसा कोई [illegible] पेश नहीं किया है जिसमे उक्त नियुक्ति को निरस्त किया गया हो। [illegible] जाहिर है कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से खाद्य पदा[illegible]क पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नही है। लिहाजा अप्र[illegible]गण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर रूपये 10,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:38 IST
Reason: SelfAttested